


उत्तराखण्ड शासन  
श्रम एवं सवोयोजन विभाग  
संख्या 175/ VIII / 680 (श्रम) / 2002 T.C  
देहरादून 02 जनवरी, 2015

अधिसूचना


राज्यपाल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा -11 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम-2 के खण्ड (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या: 2279/ VIII / 680 (श्रम) / 2005 टी0सी0II दिनांक: 23 नवम्बर, 2005 द्वारा नामित अपीलीय प्राधिकारियों के साथ-साथ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को समस्त उत्तराखण्ड के लिए उक्त अधिनियम एवं नियमों के संगत उपबन्धों के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


  
(आर0 कुं सुधांशु)  
सचिव।


संख्या 175/ VIII / 680 (श्रम) / 2002 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. अपर / उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियाँ शासन को तथा 50 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

1784  
  
Deputy District  
Commissioner  
र. कुं  
जिलाधिकारी  
देहरादून

आज्ञा से,  
  
(रमेश कुमार)  
संयुक्त सचिव

प्रभागा   
डाफ्टरी सं 1804 दिनांक 01/01/15

प.अ.व.प्र.अधि.सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त